न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 144/2017

बउनवान

रामकिशन आयु 72 वर्ष पुत्र श्री श्रवणलाल जाति–मीना निवासी–भडसुई तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री ओमप्रकाश मेहता II, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 10.01.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 08.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–भडसुई, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 483 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 500/– रूपये अर्थदण्ड एंव तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट 72 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है उसके द्वारा उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है, कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। आदेश पारित करने के पूर्व जवाबदेहीं एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है। निर्णय छपे हुये परफोर्मा पर पारित किया है, जो स्पेसिफिक निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। अपील उचित शुल्क व जानकारी से अवधि मध्य पेश की गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं करायी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

जवाबदेही का अवसर दिये बिना हीं एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, कब्जा पूर्व से छोड रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका व कब्जे की जॉच किये हीं, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, आदेश पारित किया है। जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पश्चात्वर्ती मानकर, स्लाक्लोस्टाईल प्रफोर्मा पर निर्णय पारित किया है, जो विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 305/14 निर्णय दिनांक 03.03.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, अपीलांट नहीं मिलने पर खुले मकान पर नोटिस को विधिवत चस्पा किया है। इसलिये अपीलांट का कथन सत्य नहीं है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया है। विवादित आराजी चारागाह है, जो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 305/14 निर्णय दिनांक 03.03.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 1166/2015 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अपना कब्जा हटा लिया है अपीलांट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है अधि